

बिहार स्टेट माइनोरीटीज फाइनेन्सियल कारपोरेशन लि० पटना

(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार का एक उपक्रम)

34, हार्डिंग रोड, (अली इमाम पथ) पटना-800001 Ph: 0612-2204975) Fax : 0612-2215994
(Email=minorcorpatna@gmail.com. website:www.bsmfc.org)

संख्या:..... बी० एस० एम० एफ० सी०, / पटना दिनांक:

स्वीकृत्यादेश

राज्य सम्पौर्णित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजनान्तर्गत चयन समिति से दिनांक 07.07.2017 को खगड़िया, जिला के चयनित अल्पसंख्यकों के द्वारा समर्पित झुट्टीन कागजात के आधार पर कुल 03 लाभुकों को उनके नाम के सामने अंकित ट्रेड में 5 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज दर पर दर्शाये गये ऋण राशि 600000/- (छः लाख रुपये) की स्वीकृति दी जाती है। अतएव विभागीय पत्र संख्या 843 दिनांक 26.06.2017 के तहत RTGS/NEFT के माध्यम से ऋण राशि भुगतान करने हेतु प्राप्त निदेश के आलोक में स्वीकृत ऋण राशि में से 0.5% प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में कटौती करने के पश्चात नीचे शुद्ध भुगतये के स्तम्भ में दर्शाये गये राशि सीधे सम्बन्धित लाभुकों के बैंक खाता में RTGS/NEFT के माध्यम से अंतरित करने का आदेश दिया जाता है :-

Sl. No	Appl_Name	Bank A/c No. of Applicant	Trade	Sanctioned Loan Amount	0.5% Processing Charge	Net Payable Amount
1.	MD. SHARIQUE ANSARI, S/o- MD. MONAZIR ANSARI, Vill.- GOGRI KASWA, Block-GOGRI, PS-GOGRI, PO-GOGRI, Distt.- KHAGARIA-851202	A/c No.- 58311161000494	JUTA CHAPPAL KI DUKAN	200000.00	1000	199000
2.	MD. NEHAL AHMAD, S/o- MD. WASIT ALI, Vill.-MADAR, Block-KHAGARIA, PS-MORKAHI, PO-MADAR DACHHANI, Distt.- KHAGARIA-851205	A/c No.- 32749716786	CEMENT, BALU, GITTI	200000.00	1000	199000
3.	MD. ESARAT HUSAIN KHAN, S/o- MD. INAMUL HAQUE, Vill.- GOGRI, Block-GOGRI, PS-GOGRI, PO-GOGRI, Distt.- KHAGARIA-851202	A/c No.- 50150084688646	ELECTRONICS MOBILE	200000.00	1000	199000
				600000.00	3000.00	597000.00

स्वीकृत ऋण राशि से वर्णित ट्रेड में लाभार्थी द्वारा परिसम्पत्तियाँ/सामग्रियों का क्रय 30 दिनों के अन्दर में निश्चित रूप से कर लिया जाना है तथा ऋण राशि से सृजित की गयी परिसम्पत्तियाँ अथवा क्रय की गयी सामग्रियों की भौतिक जाँच कर प्रमण्डलीय कार्यालय के प्रभारी द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

उक्त स्वीकृत ऋण को ऋणधारक द्वारा ब्याज सहित 20 सामान त्रैमासिक किस्तों अर्थात् 5 वर्षों में वापस किया जाना है।
हृ०/-

ज्ञापक:-.....
प्रबंध निदेशक
दिनांक :- 01/08/19.....

प्रतिलिपि:- जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर/सभी ऋणधारकों/ऋण शाखा/ऋण शाखा(कम्प्युटर सेल)/लखी
शाखा/प्रमण्डलीय कार्यालय प्रभारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रबंध निदेशक